PATLIPUTRA UNIVERSITY
PATNA-800020

E-mail:- patliputrauniversity2018@gmail.com
registrar@ppup.ac.in

Ref.no:- R/PPU/1873/23 Date:- 24.08.2023

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य
सभी अंगीभूत/अल्पसंख्यक/राजकीय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय,
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना,
एवं
सभी विभागाध्यक्ष,
स्नातकोत्तर विभाग,
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

विषयः– कक्षा में छात्रों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में।
संदर्भः– राज्यपाल सचिवालय पत्रांक – BSU(Directive)-43/2023-1338/रा०स०(1) दिनांक 23.08.2023.

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के आलोक में आप पूर्व से ही अवगत हैं कि छात्र–छात्राओं की कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। अतः राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्राप्त आदेश (संलग्नित) के आलोक में पुनः आपको सूचित किया जाता है कि आप अपने महाविद्यालय में प्रत्येक विभाग (विषय) में नामांकित छात्रों की 75% उपस्थिति को सुनिश्चित करें। राज्यपाल सचिवालय के निर्देशानुसार 75% उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कृपया इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नकः–

- यथोक्त।

ह०/–
(प्रो० शालिनी)
कुलसचिव
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांकः– R/PPU/1873/23 दिनांकः– 24-08-23

प्रतिलिपिः–

1. माननीय प्रति कुलपति, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।
3. परीक्षा नियंत्रक, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।
4. संरक्षित संचिका।

Shalini
24-8-2023
कुलसचिव
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

24/08/23

सत्यमेव जयते

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800 022

पत्रांक- BSU(Directive)-43/2023- 1338 /रा०स०(I), दिनांक- 23/8/2023

प्रेषक,

रॉबर्ट एल. चोंग्थू

राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

कुलपति

बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालय

विषयः- **कक्षा में छात्रों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने के क्रम में परीक्षा प्रपत्र जमा करने के समय छात्रों की कक्षा में 75% उपस्थिति नहीं होने के पश्चात् भी उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के स्तर से दिया जा रहा है ।

इस पर माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अप्रसन्नता प्रकट करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त निदेश देने की कृपा की है कि जिन छात्रों का कक्षा में 75% उपस्थिति नहीं है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने के क्रम में परीक्षा प्रपत्र जमा नहीं कराये जाय तथा उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाय, यदि अन्यथा कोई अन्य उचित कारण न उपलब्ध हो ।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(रॉबर्ट एल. चोंग्थू)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- BSU(Directive)-43/2023- 1338 /रा०स०(I), दिनांक- 23/8/2023

प्रतिलिपिः-प्रति-कुलपति / कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक बिहार के सभी विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

23.8.2023

राज्यपाल के प्रधान सचिव